

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिकांसी अधिकारी,  
नगर पंचायत, मगहर (संतकबीरनगर), बड़नी बाजार(सिद्धार्थनगर), राजेसुल्तानपुर  
(अम्बेडकरनगर), तीतरों (सहारनपुर), भारत भारी (सिद्धार्थनगर), डलमऊ (रायबरेली), बड़नी  
चाफा, (सिद्धार्थनगर), तालबेहट (ललितपुर)।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 06 जुलाई, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना के अन्तर्गत द्वितीय/अंतिम  
किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय  
झील/पोखर/तालाब संरक्षण योजना हेतु गत वित्तीय वर्षों में नगर पंचायत, मगहर (संतकबीरनगर),  
बड़नी बाजार(सिद्धार्थनगर), राजेसुल्तानपुर (अम्बेडकरनगर), तीतरों (सहारनपुर), भारत भारी  
(सिद्धार्थनगर), डलमऊ (रायबरेली), बड़नी चाफा, (सिद्धार्थनगर), तालबेहट (ललितपुर) में स्थित  
तालाबों/पोखरों के सौन्दर्यीकरण कार्यों हेतु संलग्न विवरण के अनुसार प्रथम किश्त के रूप अवमुक्त  
धनराशि का सदुपयोग हो जाने के उपरान्त **रु० 216.95 लाख ( रुपये दो करोड़ सोलह लाख पंचानबे  
हजार मात्र )** की धनराशि द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन  
अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों**

1. स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम  
अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/  
कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि  
किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। यह कार्यवाही शीर्ष  
प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन  
दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी  
है।
3. योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-66/2016/1120/नौ-5-2016-42बजट/2016 दिनांक 17 मई,  
2016 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
4. प्रश्रुत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली  
जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक  
अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया  
जाय।
5. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा  
सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा  
निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
7. प्रश्रुत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में  
किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
8. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की  
जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि  
स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
  10. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाय।
  11. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
  12. कार्य की गुणवत्ता का उत्तरदायित्व, संबंधित निकाय के अधिशासी अधिकारी की होगी।
  13. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त, नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त, विभाग को दे दी जाय।
  14. इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,16,95,000 ( रुपये दो करोड़ सोलह लाख पंचानबे हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217801930700 नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,  
06.07.2023  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

**संख्या-45/2023/3419(1)/नौ-5-2023/001-Computer No-1607995-NJPTSY, तद् दिनांक।**


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
- 2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
- 3- संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- 4- संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 5- संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 7- संबंधित अध्यक्ष, नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 8-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/2।
- 9-निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 10-गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,  
06.07.2023  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

क्रसं	नगरीय निकाय/जनपद का नाम	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	कुल अवमुक्त की गयी धनराशि	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	नगर पंचायत, मगहर, जनपद-संतकबीरनगर	कबीर चौरा पर पोखरे का सौन्दर्यीकरण कार्य	29.95	14.00	15.95
2.	नगर पंचायत, बढ़नी बाजार, जनपद-सिद्धार्थनगर	1.वार्ड नं0 2 मुडिला शिवदत्त पोखरे का सौन्दर्यीकरण कार्य 2.वार्ड नं0 02 मुडिला में स्थित तालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य	60.00	28.00	32.00
3.	नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर	धरूपुर तालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य	40.00	08.00	32.00
4.	नगर पंचायत तीतरों, जनपद-सहारनपुर	गढी वाले तालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य	30.00	06.00	24.00
5.	नगर पंचायत, भारत भारी, जनपद-सिद्धार्थनगर	शिव मंदिर के पास पोखरे का सौन्दर्यीकरण कार्य	30.00	1.50	28.50
6.	नगर पंचायत, डलमऊ, जनपद-रायबरेली	बन्द पड़ी पुरानी नहर/झील का सौन्दर्यीकरण कार्य	30.00	14.00	16.00
7.	नगर पंचायत, बढ़नी चाफा, जनपद-सिद्धार्थनगर	बारघाट मोहल्ले में पोखरे का सौन्दर्यीकरण कार्य	30.00	1.50	28.50
8.	नगर पंचायत, तालबेहट, जनपद-ललितपुर	मानसरोवर झील का सौन्दर्यीकरण कार्य	30.00	06.00	24.00
9.	नगर पंचायत, बढ़नी बाजार, जनपद-सिद्धार्थनगर	1.वार्ड नं0 2 मुडिला खास में तालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य	30.00	14.00	16.00
<b>योग:-</b>			<b>309.95</b>	<b>93.00</b>	<b>216.95</b>

रू0 216.95 लाख ( रुपये दो करोड़ सोलह लाख पंचानबे हजार मात्र )

  
 (कल्याण बनर्जी)  
 संयुक्त सचिव,  
 उत्तर प्रदेश शासन।

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024  
आवंटन दिनांक-06/07/2023

प्रेषण संख्या:- 45  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-45-2023-3419-9-5-2023-001-CN-1607995-NJPTSY  
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
80 - सामान्य  
193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता  
07 - नगरीय झील / तालाब / पोखर संरक्षण योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	सहारनपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2400000 2400000	2400000 2400000
2	रायबरेली-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1600000 1600000	1600000 1600000
3	ललितपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2400000 2400000	2400000 2400000
4	सिद्धार्थनगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10500000 10500000	10500000 10500000
5	अम्बेदकर नगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3200000 3200000	3200000 3200000
6	संत कबीर नगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1595000 17390000	1595000 17390000
	योग	वर्तमान प्रगामी	21695000 37490000	21695000 37490000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ सोलह लाख पंचानवे हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ चौहत्तर लाख नब्बे हजार

  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव